न्यायालय,अपर समाहर्ता, रॉंची।

विविध अपील 03 आर 15/07–08

जगरनाथ मुण्डा — अपीलकर्ता

बनाम

मटुकमनी वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

11
19-03-2008

यह अपील परमिशन वाद संख्या आर एम 10/06–07 में अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा दिनांक 11.08.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को निम्नांकित जमीन प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को दान करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कॉंची	223	573	0.22 एकड
		791	0.40 ,,
		1627	0.29 ,,
		1830	0.29 ,,
	292	202	0.37 ,,
		689	0.32 ,,
		1919	0.78 ,,
		1951	1.84 ,,
		1979	0.20 ,,

अपील आवेदन में कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में जंगल मुण्डा वो उधो मुण्डा पिता गहन मुण्डा वो गोबरा मुण्डा पिता हाकिम मुण्डा के नाम दर्ज है। उधो मुण्डा की नाबल्द मृत्यु हुई। जंगल मुण्डा के तीन पुत्र रामा, दया एवं ऑटो थे। रामा एवं दया की नाबल्द मृत्यु हुई तथा वर्तमान अपीलकर्ता ऑटो मुण्डा के पुत्र हैं। दूसरे

खतियानी रैयत हाकिम मुण्डा के पुत्र गोबरा मुण्डा थे। गोबरा मुण्डा के दो पुत्रियॉ मटुकमनी एवं सुधामनी हैं। मटुकमनी की दो पुत्रियॉ देवकी एवं मनी देवी हैं जो प्रतिवादी हैं। अपील आवेदन में बताया गया है कि निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता को पक्षकार नही बनाया गया था। प्रतिवादी सुख्या 2 एवं 3 का विवाह दूसरे थाना क्षेत्रों में हुआ है और वे वहीं निवास करती हैं। मुण्डा प्रथा के अनुसार औरतों को जमीन में हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, अतः मटुकमनी को जमीन बिक्री या दानपत्र द्वारा हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन पर अपीलकर्ता का हक एवं दखल है, अतः निम्न न्यायालय का आदेश गलत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी दाखिल किया है जिसमें अपील आवेदन के तथ्यों को ही दुहराया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 गोबरा मुण्डा के उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 प्रतिवादी संख्या 1 की क्रमशः पुत्री एवं पौत्री हैं। खतियान में गोबरा मुण्डा का अलग से कब्जा दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि बर्ष 1965 में विविध वाद संख्या 471/1965 में मटुकमनी का दखल अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था। बर्ष 1970 में मटुकमनी एवं सुधोमनी के बीच निबंधित बॅटवारा हुआ था तथा अलग अलग नामांतरण भी हुआ।

प्रस्तुत वाद में उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित जमीन प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के साथ दानपत्र द्वारा हस्तांतरित करने की अनुमति अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा प्रदान की गयी है। धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जमीन हस्तांतरण हेतु आदिवासी समुदाय के सदस्यों का एक ही थाना क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में जमीन का हस्तांतरण दानपत्र द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों को करने हेतु

अनुमति प्रदान की गयी है जो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। अतः निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। अपील अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :– 19.03.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।